संख्या-17/2017/आर-455/26-3-2017-रिट(9)/2015टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद

अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक

समाज कल्याण

उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2017

विषयः-रिट याचिका संख्या-41458/2014 फोर्ट इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, ग्रीन पार्क मवाना रोड, मेरठ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-11-08-2014 एवं अवमानना याचिका संख्या-5339/2016 में पारित आदेश दिनांक-19-12-2016 एवं दिनांक-10-01-2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-5283/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-09-02-2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-11-08-2014 एवं अवमाननावाद में पारित आदेश दिनांक-19-12-2016 एवं दिनांक-10-01-2017 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था के वर्ष 2012-13 की दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-26,73,220/-रूपये छब्बीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-17/2017-आर-455(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।

2-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मेरठ।

3-वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।

5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।